



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No.2017/HQ/Admin/RTI-**124**

New Delhi: 08.08.2017

Sh. Ajit Singh
S/o Smt. Devi Prashad Khushwaha
10/2, Juhi Safed Colony,
Kanpur (Uttar Pradesh)-208 014.

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
Providing information under the RTI Act 2005

Ref: Your original application dt. 12.06.2017 received on 14.06.2017 from Shri Ajit Singh R/o Kanpur, U.P.

संबंधित कार्यालय से प्राप्त उत्तर/ received reply from the concerned office:

S.No.	Information required	DFCCIL serialized answer
1	Item (i)	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 24.12.15 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी की अधिग्रहित भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि भूमि के सापेक्ष आवासीय दर से प्रतिकर की मांग अनुचित है। प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा आवश्यक प्रपत्र शपथ पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी, फोटो, पहचान पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में 24.12.15 तक जमा नहीं कराये गए थे। प्रार्थी की विषयगत भूमि के अधिग्रहण में भूमि अर्जन एवं पुर्नवासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम - 2013 लागू नहीं होता है। अतः सक्षम अधिकारी के पत्र दिनांक 07.01.2016 एवं संलग्न प्रार्थी का पत्र दिनांक 24.12.15 पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
2	Item (ii)	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.16 में दो बिन्दु प्रस्तुत किये गये थे। बिन्दु क्रमांक 1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए प्रार्थी द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी, फोटो, पहचान पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में 09.03.2016 तक प्रस्तुत नहीं किये गए थे। बिन्दु क्रमांक 2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी की भूमि अर्जन प्रथम चरण में गाटा सं0 236 रकबा 0.2460 हे0 का अर्जन करते हुए अभिनिर्णय दिनांक 08.02.2010 व द्वितीय चरण में गाटा सं0 236 रकबा 0.1650 हे0 का अर्जन अभिनिर्णय दिनांक 05.09.2011 के माध्यम से किया जा चुका है। अतः भूमि अर्जन एवं पुर्नवासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम - 2013 उस अधिग्रहण पर लागू नहीं होता है। अतः उक्त पत्र के सापेक्ष कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी के पत्र दिनांक 21.03.2016 एवं संलग्न प्रार्थी का पत्र 09.03.2016 के सापेक्ष कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
3	Item (iii)	प्रार्थी को अवगत कराना है उनके तथा उनके भाइयों द्वारा एवं उनके अधिवक्ता द्वारा कुल 50 से अधिक शिकायत पत्र/ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र/ कानूनी नोटिस / कोर्ट केस के नोटिस आदि प्रेषित किये जा चुके हैं, इनमें से अनेक पत्र नियम विरुध मांग पर आधारित हैं, इसे पत्रों पर कार्यवाही नहीं की सकती है। राजकीय परियोजना के कार्यालय का अनावश्यक रूप से नष्ट होने से अन्य प्रभावित भूस्वामियों के हितबद् कार्य प्रभावित होते हैं।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, गुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, नई दिल्ली-110001 जिन्हें इस उत्तर के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस सूचना आवेदन के संबंध में निःशुल्क अपील की जा सकती है।



(Handwritten signature)
08/08/17

(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI